


121



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर, खण्डपीठ इन्दौर म.प्र. के

किरामी-3238/2018/इन्दौर/ग्र.रा

समक्ष

1. पंकज पिता राम खण्डेलवाल

निवासी- 100/102, सुयश विहार कालोनी, इन्दौर म.प्र.

2. यशवंत पिता चिमनसिंह चौहान

निवासी- 153/1, मालवीय नगर, इन्दौर म.प्र.

—प्रार्थी/निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. अतुल पिता प्रतापनाथ गुप्ता

निवासी- 41, न्यु पलासिया एक्सटेंशन, इन्दौर म.प्र.

2. श्रीमती सुन्दरबाई पति सावंत चौधरी ग्राम नरसिंह पुराश्रीलाल पिता गोकुललाल

3. सुश्री रेखा पिता मुरारीलालजी चौधरी

निवासी- ग्राम पिपल्याहाना तह व जिला इन्दौर म.प्र.

—प्रत्यर्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भ.रा. संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 58/अ-6/15-16 में पारित अंतरिम आदेश 27/01/2017 एवं 5/07/2017 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।



प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य:-

1. प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि ग्राम मालवाखेड़ी तह. सांवेर जिला इन्दौर में स्थित होकर सर्वे नंबर 99 रकबा 2.938 हेक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के सम्बंध में निगरानीकर्ता द्वारा अधिनस्थ तहसीलदार महोदय के समक्ष नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया। तहसीलदार महोदय द्वारा विधिवत प्रकरण

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक निगरानी/ 3238/2018/इंदौर/भूरा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 20-2-2019 | <p>आवेदकपक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष सूचित हो ।</p> <p> अध्यक्ष</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p> | |